UPBB010065942021

न्यायालय: **विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०)/** अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं.**04,** बाराबंकी।

सत्र परीक्षण वाद सं० 1990/2021

सरकार बनाम अमित कुमार आदि।

अपराध सं. 16 /2015
धारा 147, 148, 149, 302, 364, 201, 216 भा०दं०सं०,
थाना बदोसराय, जिला बाराबंकी।

निस्तारण प्रार्थनापत्र **ब 29**

आदेश पत्र

18–08–2022

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई।

अभियुक्तगण नंदकिशोर, संगम, अमित कमुमार, राजेन्द्र कुमार जमानत पर एवं डा० विजय जेल से उपस्थित। शेष की हाजिरी माफी प्रस्तुत आज हेतु स्वीकृत।

पूर्व नियत तिथि पर अभियुक्तगण अमित कुमार, संगम भास्कर, नंदकिशोर उर्फ रिंकू व राजेन्द्र कुमार के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को प्रार्थनापत्र ब 29 पर सुना जा चुका है।

प्रार्थनापत्र ब 29 अभियुक्तगण अमित कुमार, संगम भास्कर, नंदकिशोर उर्फ रिंकू व राजेन्द्र कुमार की ओर से इस आशय का दिया गया है कि उपरोक्त प्रक्रम की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय पर दिनांक 30–11–2021 को नियत थी, जिसमें अगली तारीख 14–12–2021 लगी थी कि इसी मध्य सी०जे०एम० महोदय के याचना पत्र जनपद न्यायाधीश को सम्बोधित भेजे जाने पर दिनांक 02–12–2021 को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुपालन में पत्रावली दिनांक 04–12–2021 को श्रीमान् जी के न्यायालय पर सीधे रूप से अंतरित कर दी गयी जो विधिमान्य प्रक्रिया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में नकले दिये जाने की कार्यवाही लम्बित थी तथा प्रकरण में नकले प्रदान किये जाने, क्षेत्राधिकारिता व प्रसंज्ञान निष्प्रभाव का प्रार्थनापत्र दिनांकित 08–05–2019, 82/83 दं०प्र०सं० आदेश को निष्प्रभावी प्रार्थनापत्र दिनांकित 06–03–2019, कुर्की कार्यवाही मृदुला आनन्द से सम्बंधित के विरूद्ध अपनी सम्पत्ति सुरक्षा प्रार्थनापत्र जो मालती देवी की ओर से दिनांक 06–02–2019 को प्रस्तुत की गयी थी आदि प्रार्थनापत्रों को अनिस्तारित रखते हुए अविधिक रूप में अंतरित की गयी

जो विधि सम्मत नहीं है। प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 04–12–2019, 209 दं०प्र०सं० के अनुरूप नहीं होने के कारण सम्पूर्ण पत्रावली वापस अधीनस्थ न्यायालय प्रेषित किये जाने की आवश्यकता है ताकि लम्बित प्रार्थनापत्रों का विधि सम्मत निस्तारण सम्भव हो सके और वे उचित उपचार प्राप्त कर सकें। कथित घटना 19–01–2015 को बतायी गयी है जिसमें विवेचनोपरान्त प्रस्तुत आरोप पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभिन्न तिथियों पर आदेश पारित किये गये और तत्समय एम०पी०/एम०एल०ए० की विशेष न्यायालय अस्तित्व में नहीं थी। इस कारण मामले को धारा 209 दं०प्र०सं० के अनुसार पत्रावली के प्रपत्रों को जनरल रूप क्रिमिनल के अनुसार विषय सूची कलेन्डर व पत्रावली के अभिलेखों को सुसज्जित कर सम्पूर्ण विवरण मय आदेश के अनुसार सत्र न्यायालय को सुपुर्द किये जाने की विधि सम्मत बाध्यता अधीनस्थ न्यायालय पर थी, इसी क्रम में उचित प्रक्रिया अंगीकृत नहीं किये जाने के कारण पत्रावली रिमाण्ड किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही प्रकियागत कमीटल कार्यवाही नहीं होने के कारण विशेष न्यायालय एम०पी०/एम०एल०ए० कोर्ट के लिये जारी दिशा निर्देश प्रास्पोक्टिव प्रभाव रखने वाले होंगें, इसलिये प्रकरण को स्थानान्तरित करने की पक्रिया उचित नहीं है। इस स्तर पर यह भी स्पष्ट करना है कि दं०प्र०सं० की धारा 193 में उल्लेखित प्राविधान के अनुसार सत्र न्यायालय सुपुर्द किये गये मामलों पर ही प्रथमतः माननीय सत्र न्यायालय, तदोपरान्त विशेष न्यायालय एम०पी०/एम०एल०ए० न्यायाधीश द्वारा दर्ज रजिस्टर का प्रसंज्ञान आदेश को पारित किया जायेगा, अन्यथा प्रक्रिया अनुसार ऐसा किया जाना विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थनापत्र में यह भी अंकित किया गया कि That Criminal Law is in the wider scene consists of both as procedural law & substantive Law Now "procedural law has to designee to work after the process of administration & enforcement of substantive criminal law". In absence of procedural law substance criminal law would be of no importance. आगे कथन किया गया कि प्रतिवादित सिद्धान्त है कि व्यक्ति प्राण व स्वतंत्रता को विधि मान्य तरीके से ही कार्यवाही को संचालित होना होगा, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली सुपुर्दगी को लेकर घोर अनियमितता, अव्यवहारिक तरीका अपनाएं जाने के कारण ट्रांसफर आदेश अविधिक है, इसलिये पत्रावली को वापस अधीनस्थ न्यायालय भेजे जाने की आवश्यकता है ताकि अनियमितता को उचित तरीके से रेक्टीफाई किया जा सके। उपरोक्त आधार पर विशेषक प्रस्तुत तथ्यों एवं सामग्री पर समग्रता में विचार करके पत्रावली के विधिपूर्ण निस्तारण हेतु एवं प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही संचालन हेतु सम्पूर्ण पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का आदेश पारित करने की याचना की गयी।

अभियुक्तगण अमित कुमार, संगम भास्कर, नंदकिशोर उर्फ रिंकू व राजेन्द्र कुमार

की ओर से प्रार्थनापत्र ब 29 में प्रमुख्य तर्क यह लिया गया है कि धारा 207 व 209 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उनको अभियोजन प्रपत्रों की स्पष्ट व पठनीय प्रतियां प्रदान नहीं की गयी हैं, पत्रावली का नियमानुसार कमिटल नहीं है तथा पत्रावली में कई प्रार्थनापत्र अनिस्तारित रह गये हैं। अतः पत्रावली के विधिपूर्ण निस्तारण हेतु एवं प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही संचालन हेतु सम्पूर्ण पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को वापस प्रेषित की जाये।

प्रार्थनापत्र पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकले अवर न्यायालय में ही प्राप्त करा दी गयी थी और उन्होने इस तथ्य को अवर न्यायालय के आदेश पत्रक पर अंकित किया है। जो प्रार्थनापत्र अनिस्तारित रह गये हैं, वे मामले के विचारण से सम्बंधित नहीं हैं बल्कि मामले में अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु न्यायालय द्वारा जारी प्रासेस हैं और अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित हो चुकी है। इस कारण पूर्व लम्बित प्रार्थनापत्रों का विचारण (Trial) से सम्बंध न होने के कारण अभियुक्तगण के उपरोक्त कथन में कोई बल नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बंधित मामले में संज्ञान दिनांक 22–04–2019 को लिया गया है और दिनांक 02–12–2021 को पत्रावली एम०पी०/एम०एल०ए० कोर्ट में अंतरित करने हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को पत्र लिखा गया है और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उपरोक्त पत्र पर आदेश पारित होने के पश्चात् दिनांक 04–12–2021 को पत्रावली को विशेष न्यायालय एम०पी०/एम०एल०ए० कोर्ट में विचारण हेतु भेजा गया है जो कि कमिटल का ही प्रभाव रखता है। यह भी तर्क किया गया है कि धारा 209 दं०प्र०सं० के अनुसार मामले के अभिलेख तथा दस्तावेज विशेष न्यायालय एम०पी०/एम०एल०ए० को भेजे जा चुके हैं और अभियुक्तगण भी इस न्यायालय में उपस्थित आ रहे हैं और लोक अभियोजक के तौर पर उन्हें मामले की सूचना है। इस तरह प्रस्तुत मामले में समस्त प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। अतः अभियुक्तगण का प्रार्थनापत्र 29 ब निरस्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 22–04–2019 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया तथा संगम भास्कर के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 31–10–2019 को प्राप्त होने पर संगम भास्कर के सम्बंध में भी मामले का संज्ञान लिया गया और पत्रावली अभियोजन प्रपत्रों की नकले देने हेतु नियत हुई। अवर न्यायालय के अभिलेखों से यह दर्शित होता है कि अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां अवर न्यायालय में प्राप्त करा दी गयी थी परन्तु फिरभी अभियुक्तगण के निवेदन पर उन्हें इस विशेष न्यायालय द्वारा दिनांक 22–07–2022 को समस्त अभियोजन प्रपत्रों की नकले प्रदान की गयीं। मात्र मृदुला आनन्द

की अनुपस्थिति के कारण उन्हें अभियोजन प्रपत्रों की नकले प्रदान नहीं की जा सकीं। जहांतक अभियुक्तगण का यह कथन है कि क्षेत्राधिकार व प्रसंज्ञान निष्प्रभावी का प्रार्थनापत्र दिनांकित 08–05–2019, धारा 82/83 दं०प्र०सं० के आदेश को निष्प्रभावी प्रार्थनापत्र दिनांकित 06–03–2019 कुर्की की कार्यवाही मृदुला आनन्द से सम्बंधित के विरूद्ध मालती देवी की ओर से 06–02–2019 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण शेष रह गया था तो इस सम्बंध में न्यायालय का मत है कि कुर्की, धारा 82/83 दं०प्र०सं० एवं मालती देवी द्वारा प्रस्तुत सम्पत्ति की सुरक्षा से सम्बंधित प्रार्थनापत्र मामले में अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बंध में पारित आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें आपराधिक विचारण से सम्बंधित किसी मेरिट (गुण–दोष) को निस्तारित नहीं किया गया है इस कारण इन प्रार्थनापत्रों का निस्तारण न होने से मामले के विचारण में कोई बाधा नहीं है, न ही कोई अवैधता या अनियमितता है। उन प्रार्थनापत्रों पर निष्कर्ष उन्हें प्रकीर्ण प्रार्थनापत्रों के रूप में दर्ज करके दिया जा सकता है जिससे प्रस्तुत आपराधिक मामले के विचारण में किसी प्रकार का अनावश्यक एवं अवांछित विलम्ब कारित न हो। जहांतक विषय सूची एवं कैलेण्डर का प्रश्न है, उपरोक्त दोनो ही सामग्रियां न्यायालय में विचारण को सुविधाजनक बनाने एवं सुगमता से कार्यवाही अग्रसारित किये जाने हेतु आवश्यक हैं, परन्तु यदि उपरोक्त कार्यवाही किये बिना अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली विशेष न्यायालय एम०पी०/एम०एल०ए० को अंतरित कर दी गयी है तो मात्र कैलेण्डर एवं विषयसूची तैयार कराये जाने हेतु पत्रावली अवर न्यायालय को वापस भेजा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि इससे न्यायालय द्वारा कार्यवाहियां पीछे की ओर चली जायेंगी और इससे विचारण में विलम्ब होगा। विशेषकर उस स्थिति में जब अभियुक्तगण एवं अभियोजन के समस्त साक्षियों के नाम आरोप पत्र में दिये गये हों। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में भी बल नहीं है कि बिना प्रार्थनापत्रों का निस्तारण किये पत्रावली विशेष न्यायालय एम०पी०/एम०एल०ए० को भेज दी गयीं। पत्रावली के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 04–12–2021 को जब पत्रावली इस न्यायालय को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 02–12–2021 के अनुपालन में अन्तरण द्वारा प्राप्त हुई, उस समय पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष न्यायालय एम०पी०/एम०एल०ए० के तौर पर सिर्फ सत्र न्यायालय ही गठित किये गये थे और किसी भी विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालय का गठन नहीं हुआ था और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशानुसार व नोटिफिकेशन नं.251/Main–B/ Admin(A–3), Alld. Dated 16–08–2019 के द्वारा एम०पी०/एम०एल०ए० से सम्बंधित सभी प्रकार के आपराधिक वादों का विचारण, चाहे वह सत्र परीक्षणीय मामला हो या मजिस्ट्रेट परीक्षणीय मामला, सबका ही विचारण उत्तर प्रदेश राज्य में गठित विशेष सत्र न्यायालयों– एम०पी०/एम०एल०ए० के द्वारा ही किया जा रहा था। **अश्विनी कुमार**

उपाध्याय बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य सिविल रिट पिटीशन नं.699/2016 के प्रकरण में दिनांक 04–12–2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम०पी०/एम०एल०ए० सम्बंधित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिये प्रत्येक उच्च न्यायालय को आवश्यकतानुसार स्पेशल सेशन कोर्ट व मजिस्ट्रेट कोर्ट नामित करने का निर्देश दिया था किन्तु उक्त आदेश के अनुक्रम में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिर्फ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को ही स्पेशन जज (एम०पी०/एम०एल०ए०) के रूप में नामित किया था और किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट को नामित/गठित नहीं किया था और पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में उक्त समय विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालय, न्यायालय एम०पी०/एम०एल०ए०, का गठन नहीं हुआ था। फलतः उस समय माननीय इलाहाबाद उच्च न्याालय के आदेशानुसार और उपरोक्त नोटिफिकेशन के अनुक्रम में बाराबंकी जिले में एम०पी०/एम०एल०ए० से सम्बंधित सभी आपराधिक वाद चाहे वह सत्र परीक्षणीय हों अथवा मजिस्ट्रेट परीक्षणीय, विशेष सत्र न्यायालय एम०पी०/एम०एल०ए० को विचारण हेतु अंतरित किये गये थे, परन्तु प्रश्नगत वाद इस न्यायालय को अन्तरित नहीं किया गया था। दोनो ही प्रकार के आपराधिक वादों का विचारण स्पेशल जज एम०पी०/एम०एल०ए० की कोर्ट द्वारा ही किया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि जब इस प्रैक्टिस को माननीय उच्च्तम न्यायालय में **अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन आफ इण्डिया रिट पिटीशन (सिविल) नं.699/2016** के मामले में चुनौती दी गयी तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त रिट पिटीश्न में पारित अपने आदेश दिनांकित 24–11–2021 में यह कहा है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य में एम०पी०/एम०एल०ए० से सम्बंधित आपराधिक वादों के विारण के लिये इतनी सेशन कोर्ट व मजिस्ट्रेट कोर्ट अलग अलग गठित करेगा, जितनी की आवश्यकता हो और मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामले, विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट में तथा सत्र परीक्षण मामले, विशेरू सत्र न्यायालयों में चलेंगें। एम०पी०/एम०एल०ए० से सम्बंधित जो मजिस्ट्रेट परीक्षणीय आपराधिक मामले, सत्र न्यायालयों में चल रहे हैं, वे मजिस्ट्रेट न्यायालय में ट्रांसफर कर दिये जायेंगें और पत्रावलियों में कार्यवाही उसी स्टेज से आगे प्रारम्भ हो जायेगी, जहां तक कार्यवाही अन्तरण से पूर्व पहुंची थी और इसका प्रभाव यह होगा कि मामले का विचारण नये सिरे से प्रारम्भ नहीं होगा। (... and the proceeding shall commence from the stage which has beeb reached prior to the transfer of the proceeding, **as a consequence of which the trial shall not have to commence afresh**,– Para 10 of the order dated 24–11–2021) (Ref: Ashwini Kumar Upadhyay Vs Union of India, Writ Petition (Civil) No.699/2016 Dated 24–11–2021)

इसप्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित आदेश से यह स्पष्ट है

कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशा व आदेश दोनो ही यह नहीं है कि एम०पी०/एम०एल०ए० से सम्बंधित आपराधिक वादों में यदि मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग विशेष सत्र न्यायालय एम०पी०/एम०एल०ए० कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्याालय के पूर्व वर्णित नोटिफिकेशन के तहत कर दिया गया है तो पूर्व में सत्र न्यायाधीश द्वारा की गयी कार्यवाही को अवैध व शून्य घोषित करते हुए पुनः नये सिरे से संज्ञान होने स्तर से आपराधिक वादों का विचारण किया जाये और आपराधिक विचारण को अनावश्यक रूप से विलम्बित किया जाये। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश् द्वारा पूर्व में की गयी कार्यवाही को यथावत रखते हुए यह स्पष्ट कहा है कि सत्र परीक्षणीय मामलों में विचारण की पत्रावलियां सत्र न्यायालय के पास ही रखी जायें और मजिस्ट्रेट परीक्षणीय पत्रावलियां विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालय को अन्तरित कर दी जायें और विचारण/ कार्यवाही पहले जहां तक हो चुकी थी, उसी बिन्दु से आगे बढ़ जायेगी और नये सिरे से कोई विचारण नहीं होगा। सत्र परीक्षणीय मामलों का विचारण विशेष सत्र न्यायालय व मजिस्ट्रेट परीक्षणीय मामलों का विचारण विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालय में किया जायेगा। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के प्रार्थनापत्र में कोई बल नहीं है। अतः अभियुक्तगण अमित कुमार, संगम भास्कर, नंदकिशोर उर्फ रिंकू व राजेन्द्र कुमार का पत्रावली वापस भेजे जाने अवर न्यायालय का प्रार्थनापत्र ब 29 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण अमित कुमार, संगम भास्कर, नंदकिशोर उर्फ रिंकू व राजेन्द्र कुमार का प्रार्थनापत्र ब 29 वास्ते पत्रावली वापस भेजे जाने अवर न्यायालय निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 46 ब डा० विजय कुमार दिनांक 22–08–2022 को पेश हो।

दिनांक 18–08–2022

(कमल कान्त श्रीवास्तव)
J.O. Code:UP01559
विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं.04, बाराबंकी।